

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारी: सी. आर. देवासी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 25 / 2024 अपील (GCMS 2024/34)

पंजीयन दिनांक– 10 / 01 / 2024

निर्णय दिनांक– 02 / 07 / 2025

1. श्री विजयलाल पिता माणकलाल सुहालका (कलाल), निवासी 20, कालुजी की बाड़ी, पोस्ट सवीना, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
2. श्री रिषू पिता विलयलाल सुहालका, निवासी 20, नयाघर, नेला, पंचायत देवाली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।

—अपीलांट्स

बनाम

1. प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर हाल उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर।
2. श्री कालुलाल पिता स्व. श्री शंकरलाल जैन, निवासी सवीना मेन रोड़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।

—रेस्पोडेंट्स

उपस्थिति:—

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1. श्री रोहित कंटालिया | अधिवक्ता अपीलांट्स |
| 2. श्री पुष्कर लौहार | अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 |
| 3. श्री रोशनलाल जैन | अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2 |

अपील अन्तर्गत धारा 90—क राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर हाल उदयपुर विकास प्राधिकरण उदयपुर के आदेश क्रमांक F.11 () Regi- III/नेला/2022/61-63 दिनांक 30.03.2022

निर्णय

दिनांक 02 / 07 / 2025

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 90—क राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास

प्रन्यास, उदयपुर हाल उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर के आदेश क्रमांक F. 11 () Regin-III/नेला/2022/61-63 दिनांक 30.03.2022 अंतर्गत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के विरुद्ध दिनांक 02.03.2023 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र एवं प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेश के साथ न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के न्यायालय में पेश की गई। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 96 दिनांक 05.01.2024 के अनुसरण में हस्तगत प्रकरण इस न्यायालय में स्थानांतरित होने से दिनांक 10.01.2024 को दर्ज किया गया।

इस प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर हाल उदयपुर विकास प्राधिकरण उदयपुर के आदेश क्रमांक F. 11 () Regin-III/नेला/2022/61-63 दिनांक 30.03.2022 से रेस्पोंडेंट संख्या 2 श्री कालुलाल पिता स्व. श्री शंकरलाल जैन, निवासी मेन रोड़ सवीना, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर को राजस्व ग्राम नेला की आराजी संख्या 4266/1412, 4267/1415, 4268/1416, 4269/1440, 4270/1442, 1442मी., 4281/1416, 4282/1440 एवं 4283/1441 कुल किता 9 कुल रकबा 0.5450 हैक्टेयर भूमि का राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि का गैर-कृषिक (आवासीय प्रयोजन) प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने से व्यथित/असंतुष्ट होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री रोहित कंठालिया उपस्थित, रेस्पोंडेंट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री पुष्कर लौहार

उपस्थित तथा रेस्पोंडेंट संख्या 2 अधिवक्ता श्री रोशनलाल जैन उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं द्वारा लिखित बहस पेश की गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी लिखित बहस पेश कर बताया कि अपील में राजस्व ग्राम नेला के वर्णित खसरा नम्बर की भूमि के संदर्भ में अपीलांट्स द्वारा एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो, तर्जमान में राजस्व मण्डल में लम्बित है, जिसके प्रकरण संख्या 8515/2018 है। धारा 90-क के लिए यह विशेष रूप से प्रावधान दिये गये हैं कि उसी कृषि भूमि का नियमन किया जा सकेगा जो कि निर्विवादित हो तथा उसके संदर्भ में किसी प्रकार का कोई वाद अथवा प्रकरण लम्बित नहीं हो। हस्तगत प्रकरण की भूमि को लेकर भी राजस्व न्यायालय में प्रकरण लम्बित है, ऐसी स्थिति में लम्बित प्रकरण की विषयवस्तु की भूमि पर नियमन की कार्यवाही किया जाना न सिर्फ कानूनी प्रावधानों के विरुद्ध है, बल्कि अपीलांट्स के हितों एवं अधिकारों के विपरीत है, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई 90-क की कार्यवाही पूर्ण रूप से दुषित है। नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा 90-क की कार्यवाही दौरान जो आपत्ति आमंत्रित की गई वहां पर स्पष्ट रूप से अपीलांट्स द्वारा अपनी आपत्ति प्रस्तुत करते हुए दस्तावेजी तौर पर जाहिर किया कि उक्त भूमि पर विवाद होकर प्रकरण लम्बित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार के 90-क की कार्यवाही की गई, जबकि सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अपीलांट्स हस्तगत आराजीयात का खातेदार रहा है तथा अपीलांट्स द्वारा अपने खातेदारी की भूमि के नियमन अथवा अकृषि प्रयोजनार्थ रूपांतरण का कोई आवेदन नहीं किया गया है, न ही अपीलांट्स खातेदार द्वारा कृषि भूमि में अपने हितों एवं अधिकारों का समर्पण किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की वास्तविक स्थिति को ध्यान में नहीं रखते हुए रूपांतरण की कार्यवाही को इति श्री किया है। उक्त खसरे

की भूमि पर अपीलांट्स का लगभग 18 वर्षों से अधिक समय से निरंतर व निर्बाध रूप से आधिपत्य चला आ रहा है। हस्तगत आराजीयात की भूमि में अपीलांट्स की अन्य भूमि को अन्य किसी अधिकार के शामिल करते हुए प्लान में रोड़ के रूप में दर्शा दिया गया, जबकि खसरा 1411, 1416 इत्यादि कुल कित्ता 9 रकबा 0.2600 हैक्टेयर भूमि में 1/4 हिस्सा अपीलांट्स का निहित है। खातेदार कालुलाल जैन द्वारा इन समस्त कार्यवाहियों को नगर विकास प्रन्यास में गति प्रदान की गई और उसके द्वारा कुटरचित दस्तावेज तैयार कर अपीलांट्स को अपने हक से मेहरूम करने का प्रयास किया गया, जो दस्तावेजी तौर पर पत्रावली पर उपलब्ध है। अतः उक्तानुसार 90-क की कार्यवाही दुषित होने से अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 1 ने अपनी लिखित बहस पेश कर बताया कि नगर विकास, प्रन्यास द्वारा आम-सूचना के माध्यम से आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु आवेदनकर्ता को पत्र जारी किया गया, जिसके आधार पर आवेदनकर्ता के दैनिक समाचार-पत्र दैनिक नवज्योति में दिनांक 08.03.2022 के अंक में प्रकाशन कराया गया कि यदि किसी भी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है, तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर-भीतर दस्तावेजों को प्रस्तुत कर अपना आक्षेप दर्ज करा सकते हैं। उक्त आम सूचना के प्रकाशन के दौरान किसी भी प्रकार की कोई आपत्तियां प्राप्त नहीं होने पर अग्रिम कार्यवाही के तहत तहसीलदार, गिर्वा की रिपोर्ट अनुसार जमाबंदी में कालुलाल पिता शंकरलाल जैन होना तथा आवेदित भूमि पर किसी भी सक्षम न्यायालय का कोई रोक

आदेश/व्यादेश भूमि के संबंध में नहीं होना बताया गया। न्यास के द्वारा दिनांक 10.02.2022 को प्लान अनुमोदित किया गया एवं धारा 90-क आदेश क्रमांक 61-63 दिनांक 30.03.2022 से जारी किया गया और उक्त धारा 90-क के उपरांत भूमि नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के नाम पर तहसीलदार, गिर्वा द्वारा दर्ज की गई और तत्पश्चात् नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा दिनांक 10.06.2022 को आवंटन पत्र जारी किये गये। उक्त कार्यवाही के पश्चात् श्री रिषू सुहालका द्वारा दिनांक 06.06.2022 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर आपत्ति दर्ज कराई गई कि वर्णित आराजीयात के संबंध में एक वाद राजस्व मण्डल, अजमेर में विचाराधीन होना बताया। उक्त प्रस्तुत आपत्ति पर सुनवाई हेतु दोनों पक्षों को न्यास द्वारा दिनांक 02.06.2022 को नोटिस जारी किया जाकर दिनांक 30.06.2022 को उक्त भूमि से संबंधित असल दस्तावेजों सहित उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। आपत्तिकर्ता द्वारा कोई भी विधिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने से सुनवाई हेतु दोनों पक्षों को न्यास द्वारा दुसरा नोटिस दिनांक 05.07.2022 को जारी किया जाकर दिनांक 14.07.2022 को उक्त भूमि से संबंधित असल दस्तावेज सहित उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। उक्त नोटिस के पश्चात् श्रीमती मंशा पत्नि विजयलाल सुहालका द्वारा दिनांक 13.09.2022 को मात्र एक आवेदन प्रस्तुत कर आपत्ति दर्ज करायी गयी, लेकिन आपत्तिकर्ता के पास भी कोई भी विधिक सारयुक्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। अतः पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड जमाबंदी/तहसीलदार, गिर्वा की रिपोर्ट तथा वर्तमान मौका रिपोर्ट के आधार पर भूमि पर आवेदक का स्वामित्व होने से न्यास द्वारा पट्टे जारी किये गये हैं। न्यास के द्वारा विधि अनुसार प्रक्रिया अपनाई जाकर ही नियमन की कार्यवाही अमल में लाई गई है, जो विधि अनुसार है तथा न्यास के द्वारा नियमानुसार दैनिक समाचार-पत्र दैनिक नवज्योति में प्रकाशन कराया गया है, आम-सूचना प्रकाशन के

उपरांत तहसीलदार, गिर्वा को एल. आर. एक्ट जारी किया गया है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 2 ने अपनी लिखित बहस पेश कर बताया कि अपीलांट्स द्वारा अपील में की कलम संख्या 5 में वर्णित आराजीयात खसरा नम्बर 1411, 1416, 1420, 1441, 1443 4284/1415, 4285/1417, 4286/1418 कुल किता 09 रकबा 0.2600 हैक्टेयर भूमि पर अपना 1/4 हिस्सा होना बताया, किन्तु यह तथ्य छिपा दिया कि वर्णित आराजीयात का आपसी बंटवाडा दिनांक 20.01.2003 व पंजीकृत बंटवाडा दिनांक 21.02.2003 के तहत उक्त आराजीयात की भूमि चारों हिस्सेदारों ने केवल रास्ते के लिए ही छोड़ी है जो सदैव के लिए एवं राजस्व रेकॉर्ड में रास्ता ही रहेगा। नक्शे में वर्णित रोड जो एप्रूव्ड प्लान है तथा बंटवाडा अनुसार रास्ता खातेदारी दर्ज होकर मौके पर पक्की सडक बनी है, जो बाद बंटवाडा बनी है, जिसका उपयोग-उपभोग अपीलांट्स व अन्य अपने हिस्से की कृषि के खसरा में आने-जाने हेतु करते हैं। अपीलांट्स अपील में की कलम संख्या 5 में वर्णित आराजीयात पर संयुक्त रूप से अपना 1/4 हिस्सा बताते हैं, किन्तु 3/4 हिस्सा राजस्व रेकॉर्ड में किसके नाम पर है यह नहीं बताया, जबकि उन्हें 3/4 हिस्सेदार का नाम भी वर्णित करना था एवं उनको भी पक्षकार बनाना था किन्तु 3/4 के हिस्सेदारों द्वारा नगर विकास प्रन्यास द्वारा जो आपत्ति आमंत्रित की गयी उस पर उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की, क्योंकि पहले से ही अपील में की कलम संख्या 5 में वर्णित भूमि रास्ते के लिए ही रखी गयी एवं नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वार भी अपील में की कलम नम्बर 5 में वर्णित आराजीयात को रास्ते के लिए ही रखा है। अपीलांट विजयलाल के पिता माणकलाल को संवत् 2002 में साबिक आराजी नम्बर 587/1 रकबा 7.5 बीघा आवंटित हुई थी एवं

माणकलाल के देहांत के पश्चात् भूमि उनके चारों पुत्रों घनश्यामलाल, बंशीलाल, उत्खवलाल एवं विजयलाल ने दिनांक 26.07.2002 को सहमति बंटवाडा किया गया। अपीलांट विजयलाल ने अपने हिस्से में आई आराजीयात को मैसर्स सुप्रीम ऑटो इंजीनियरिंग को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.11.2006 से विक्रय कर दी एवं सुप्रीम ऑटो ने उक्त भूमि श्रीमती पूर्णिमा सुहालका को दिनांक 12.09.2010 को विक्रय कर दी तथा पूर्णिमा सुहालका ने भूमि (जो पूर्व में विजयलाल के नाम थी) को दिनांक 02.09.2020 को कालुलाल जैन को विक्रय की गई। उक्त भूमि कालुलाल जैन द्वारा नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर को समर्पित कर दी, जिसकी नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा धारा 90-क की कार्यवाही की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी संख्या 4266/1412, 4267/1415, 4268/1416, 4269/1440, 4270/1442, 1442मी., 4281/1416, 4282/1440 एवं 4283/1441 कुल किता 9 कुल रकबा 0.5450 हैक्टेयर भूमि की धारा 90-क के तहत आवासीय प्रयोजनार्थ विधि अनुरूप नियमन किया जो पूर्णतया से सही है व कुल भूमि का 59.98 प्रतिशत ही भूखण्ड है। आपसी बंटवाडे अनुसार घनश्यामलाल के हिस्से की भूमि को ही कालुलाल जैन ने क्रय की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूमि को नियमन किये जाने के पूर्व नियमानुसार आपत्ति आमंत्रित की, जिस पर रिषु सुहालका द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की। यहां यह वर्णित करना आवश्यक है कि रिषु सुहालका को आपत्ति पेश करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि भूमि उसके पिता विजयलाल के नाम पर है एवं विजयलाल की तरफ से अधीनस्थ न्यायालय में कोई आपत्ति पेश नहीं की गई है। रिषु सुहालका ने अन्य न्यायालयों में जो वाद पेश किये वे सभी उसके पिता द्वारा किये गये विक्रय को चुनौति दी जाकर भूमि मौरूसी होना बताया है, जबकि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा एवं न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा विस्तृत निर्णय पारित कर भूमि को मौरूसी नहीं मानकर

विजयलाल की स्व-अर्जित मानी जाकर विजयलाल द्वारा किये गये विक्रय को सही माना गया है। इसी प्रकार रिषु सुहालका द्वारा एक अन्य प्रकरण जिला न्यायालय में श्रीमती सुशीला कोठारी के विरुद्ध प्रस्तुत किया जिसे भी जिला न्यायालय द्वारा दिनांक 10.03.2016 को खारिज किया जा चुका है। प्रकरण में वर्णित आराजीयात कुल 9 खसरा जिसका क्षेत्रफल 0.5450 हैक्टेयर होकर 58642 वर्गफीट होती है। जिसमें से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 35170 वर्गफीट के ही पट्टे जारी किये गये है तथा 22538 वर्गफिट भूमि रास्ते के लिए है एवं 927 वर्गफिट भूमि आरक्षित रखी है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील खारिज की जाने बाबत निवेदन किया गया।

प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अब हम प्रकरण में अपील में गुणावगुण पर निर्णय पारित करना उचित समझते हैं। अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर हाल उदयपुर विकास प्राधिकरण उदयपुर के आदेश क्रमांक F. 11 () Regin-III/नेला/2022/61-63 दिनांक 30.03.2022 से रेस्पोंडेंट संख्या 2 श्री कालुलाल पिता स्व. शंकरलाल जैन, निवासी मेन रोड़ सवीना, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर को राजस्व ग्राम नेला की आराजी संख्या 4266/1412, 4267/1415, 4268/1416, 4269/1440, 4270/1442, 1442मी., 4281/1416, 4282/1440 एवं 4283/1441 कुल कित्ता 9 कुल रकबा 0.5450 हैक्टेयर का राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि का गैर-कृषिक (आवासीय प्रयोजन) प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने से व्यथित/असंतुष्ट होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि किसी भी अपील प्रकरण में आदेश 41 जा.दी. के तहत अपील प्रस्तुत करने का अधिकार

अधीनस्थ न्यायालय के पक्षकारों का ही होता है, अन्यथा किसी भी पक्षकार को न्यायालय की अनुज्ञा दफा 96 जाप्ता दीवानी के तहत प्रस्तुत कर ही अपील प्रस्तुत किये जाने का अधिकार रहता है। दफा 96 जाप्ता दीवानी आवेदन में अपीलांट को पृथक से आवेदन प्रस्तुत कर प्रकरण में आवश्यक, हितबद्ध एवं व्यथित पक्षकार होने के कारण दर्शित करते हुए न्यायालय की अनुज्ञा प्राप्त कर ही वह अपील प्रस्तुत कर सकता है। इस प्रकरण में दफा 96 जाप्ता दीवानी के आज्ञापक प्रावधानों के तहत कोई आवेदन अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलांट्य द्वारा कोई आवेदन दफा 96 जाप्ता दीवानी का प्रस्तुत कर न्यायालय की अनुज्ञा प्राप्त किये बिना जो अपील प्रस्तुत की गयी है, वह विधि के आज्ञापक प्रावधानों के विरुद्ध होने के कारण पृथमदृष्टया अपील खारिज होने योग्य है।

विधि के सुस्पष्ट प्रावधानों के दृष्टीगत हम यहां सर्वप्रथम दफा 96 जाप्ता दीवानी पर विनिश्चय किया जाना उचित समझते हैं। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलांट्स ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश 30.03.2022 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट्स पक्षकार नहीं थे। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि विधि के आज्ञापक प्रावधानों की पालना की जानी चाहिये। विधि में जाप्ता दीवानी के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत किये जाने के लिए दफा 96 जाप्ता दीवानी एवं आदेश 41 जाप्ता दीवानी के प्रावधानों के अन्तर्गत ही अपील पेश की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय के पक्षकार द्वारा ही अपील प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है। यदि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से अन्य कोई व्यक्ति व्यथित पक्षकार है, तो उसे अपील प्रस्तुत करने से पूर्व दफा 96 जाप्ता दीवानी के तहत पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये जाने के आज्ञापक प्रावधानों व अनेकानेक न्यायिक दृष्टान्त उपलब्ध हैं। जो व्यक्ति

किसी आदेश या निर्णय में पक्षकार नहीं है, वह अपील में बिना न्यायालय की अनुमति प्राप्त किये पक्षकार नहीं बन सकते हैं।

इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत 1993 RRD 44 में निम्न सारांश प्रतिपादित किया है:—

"SECTION 96 The fact that a party is an aggrieved person does not by itself entitle him to file an appeal if he was not a party to the dispute in the lower court He must obtain the permission of the court for filing the appeal before actually doing so An appeal filed without obtaining permission from the court of appeal is incompetent and cannot be maintained"

इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टांत 1993 RRD 232 (DB) में निम्न सारांश प्रतिपादित किया है:—

"CODE OF CIVIL PROCEDURE & SECTION 96-A PERSON WHO IS NOT A PARTY TO AN ORDER OR DECREE CANNOT PREFER AN APPEAL AGAINST SUCH ORDER OR DECREE WITHOUT THE LEAVE OF THE COURTAN APPEAL FILED WITHOUT LEAVE OF THE IS INCOMPETENT"

उपरोक्त विधिक स्थिति एवं न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में क्या अपीलांट्स इस अपीलाधीन आदेश से व्यथित व्यक्ति है अथवा नहीं, इस हेतु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया और परिक्षणोपरांत जाहिर होता है कि रेस्पोंडेंट संख्या 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उपरोक्त वर्णित आराजीयात की राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन पर दिनांक 30.03.2022 को आवेदक के पक्ष में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के आदेश किये गये, जिसमें अपीलांट्स पक्षकार नहीं थे। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 में तृतीय पक्ष को अपील पेश करने का अधिकार नहीं है। तृतीय पक्ष व्यथित नहीं हो सकता है। प्रश्नगत

प्रकरण में अपीलांट्स अपनी भूमि का विक्रय किये जाने के उपरांत व्यथित/हितबद्ध व्यक्ति नहीं है, क्योंकि उसके पक्ष/विरुद्ध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त अपीलांट्स द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह प्रकट होता हो कि विवादित भूमि का वह खातेदार काश्तकार रहा हो। इस प्रकार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के की कार्यवाही को चुनौती देना न्यायसंगत नहीं है। यहां हम विभिन्न न्यायालयों के न्यायिक निर्णय/न्यायिक दृष्टांतों में प्रकट अभिमत का प्रकरण के तथ्यों के परिपेक्ष्य में भी परिक्षण किया जाना उचित समझते हैं:-

माननीय उच्च न्यायालय में आर. एल. डब्ल्यू. 2011(2) आरजे 810 (एचसी) में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि:-

Rajasthan Land Revenue Act, 1956, Secs.90-B- 'Aggrieved person' within the meaning of sec.90B(7) and locus standi of respondent "Vikas Samiti" to file appeal against an order converting the use of agriculture land into commercial use - Held - Appeal u/s. 90-B can be filed by aggrieved person, the land owner himself - The appeal filed by stranger, the Vikas Samiti was incompetent and not maintainable - The order passed by Divisional Commissioner was wholly without jurisdiction - Quashed and set-aside.

माननीय उच्चतम न्यायालय ने सिविल अपील संख्या 7728-2012 दिनांक 08.11.2022 में माना है कि:-

Administratio of Justice - Locus standi - Aggrieved party - Only a person who has suffered, or suffers from legal injury can challenge the act/ation/order etc. in a court of law - A stranger cannot be permitted to meddle in any proceedings.

माननीय राजस्व मण्डल ने (2012) 2 RLW (RJ) 961 में माना है कि:-

Rajasthan land Revenue Act, 1956- Sec 90-B- Maintainability of appeal before the Divisionsal Commissioner Application for conversion of land for residential purpose Land converted and recorded in the name of Municipal Council & Appeal against the order allowed by Divisional Commissioner Revision held Divisional Commissioner is not empowered appeal against the order passed u/s- 90B(3)- Third party cannot be aggrieved person Neighbouring khatedars have no right to file objections or appeal—order set side.

वर्णित न्यायिक दृष्टांतों अनुसार भू-स्वामी ही अपील प्रस्तुत कर सकता है, उक्त न्यायिक दृष्टांत उपरोक्त तथ्यों के आधार पर इस प्रकरण से सुसगत होकर चस्पा होते हैं, क्योंकि अपीलांट्स विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार नहीं है और न ही व्यथित व्यक्ति है, ऐसे में उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में भी अपीलांट्स की अपील पोषणीय नहीं है।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर हाल उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर द्वारा निर्णय दिनांक 30.03.2022 को किया गया है जिसकी अपील अपीलांट द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 02.03.2023 को अर्थात् लगभग 01 वर्ष के विलम्ब के बाद पेश की गयी है।

इस संबंध में प्रकरण में यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि आदेश 41 नियम 3 सी.पी.सी. के प्रावधानों अनुसार जहां अपील मयाद बाहर प्रस्तुत की जावे एवं अपील के साथ धारा-5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हो, वहा सर्वप्रथम मयाद के बिन्दु को निर्णित किया जाना आवश्यक हैं एवं उसके पश्चात् आवश्यक होने पर प्रकरण को गुणावगुण पर सुना जाना चाहिये। विधिक स्थिति एवं विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों के आलोक में यह स्पष्ट है कि भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1908 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निर्णित करने एवं विलम्ब की परिसीमा का शमन स्वीकृत करने के पश्चात् ही न्यायिक प्रकरण प्रभाव में आता है एवं

तत्पश्चात् ही गुणावगुण पर निर्णय प्रदान किया जा सकता है। वर्तमान प्रकरण में इस न्यायालय समक्ष अपीलांट्स द्वारा 01 वर्ष के विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई थी ऐसे में प्रावधान अनुसार मयाद के बिन्दु को पहले निर्णित किया जाना अपेक्षित है। साथ ही रेस्पोंडेंट्स द्वारा इस सम्बन्ध में मौखिक आपत्ति प्रस्तुत की है।

यहां हम मयाद के बिंदु पर विभिन्न न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों/व्यवस्थाओं पर विचार किया जाना उचित समझते हैं।

आरबीजे (14) 2017 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्न सिद्धान्त अभिनिर्धारित किया है—

INDIAN LIMITATION ACT, 1963 – SECTION 5 – Where there is no satisfactory reason for condoning delay, it cannot be condoned – it is well settled considered principle of law that the delay cannot be condoned without assigning any reasonable satisfactory sufficient and proper reason. Appeal allowed.

आरआरटी 2010(2) पेज 801 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने निम्न सिद्धान्त विनिश्चय किया है—

Limitation Act, 1963 – Section 5 – Condonation of delay – Sufficient cause – Delay of three days in filing appeal – No sufficient cause explained for delay – Held, application and appeal dismissed.

आरआरटी 2011(2) पेज 851 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच ने निम्न सिद्धान्त विनिश्चय किया है—

Limitation Act, 1963 – Section 5 – Condonation of delay – Sufficient cause – Delay of 30 days in filing appeal – Delay not

explained satisfactorily – Questions involved in appeal are question of facts – Concurrent findings – Held Appeal is dismissed on the ground of limitation and merits also.

आर.आर.टी.2017(1) पेज 117 उनवानी वी.एस.मर्तिया व अन्य बनाम जोधाना रियल एस्टेट डेवलमेंट कम्पनी प्रा.लि. (राज.उच्च न्यायालय)

परिसीमा अधिनियम, 1963—धारा 5— सिविल प्रक्रिया संहिता 1908—धारा 100—विलम्ब का शमन—अपील पेश करने में 2344 दिनों का विलम्ब—मुवक्किल की निष्क्रियता और सुस्ती—उदार दृष्टिकोण नहीं अपना जा सकता अन्यथा यह मयाद कानून को निरर्थक और फालतू बना देगा – विलम्ब स्पष्ट करने हेतु पर्याप्त कारण नहीं—निर्णित, प्रार्थना पत्र व अपील खारिज योग्य है।

आर.बी.जे(5) 1998 पेज 512 उनवानी हुक्मा बनाम राजस्थान सरकार (राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर)

Limitation Act, 1963 – Section 5 – When appellant did not explain the reasons for late filing of the appeal after the knowledge of the judgement passed by the Court against him, delay cannot be condoned – in the present case this was an admitted position that the appellant filed appeal after 10 years from the date of judgement of the RAA. He claimed that he was not informed by his advocate about the judgement passed by the RAA. He come to know through mutation No. 44 against which he filed the appeal which was dismissed. Therefore from the facts it is clear that when he obtained the copy of mutation and filed the appeal against the mutation order he come to know the judgement. But he did not prefer the appeal. Hence from the date of knowledge the appeal is time barred. Therefore, Board of Revenue rejected the appeal as time barred.

2010(2)सीटी(एसटी) पेज 462 में माननीय उच्चतम न्यायालय
ने अभिनिर्धारित किया कि-

Limitation Act, 1963 – Section 5 – Condonation of delay – Delay of 4 years in filing appeal – High Court condoned the delay. Respondent misled High Court and made false statement – Delay wrongly condoned – Held, order is set-aside and appeal stands dismissed.

उपरोक्त न्यायिक उद्धरणों के अनुसार धारा-5 मयाद अधिनियम के अन्तर्गत समयावधि का प्रश्न अपील का निर्णय किये जाने से पूर्व निर्णित किया जाना चाहिये। यदि अपील निर्धारित समय के पश्चात प्रस्तुत की जाती है तो प्रथम बिन्दु यह निर्णय किये जाने का होता है कि क्या अपील निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत की गई है अथवा नहीं। यदि धारा-5 मयाद अधिनियम के अधीन कोई आवेदन-पत्र अपील के साथ प्रस्तुत किया गया है तो उसे स्वीकार किया जावे या नहीं एवं जो देरी अपील प्रस्तुत किये जाने में हुई है, उस देरी को क्षम्य किया जावे अथवा नहीं, उक्त बिन्दु पर निर्णय दिये बगैर अपीलीय न्यायालय को गुणावगुण पर निर्णय किये जाने हेतु नहीं जा सकती। मयाद के सम्बन्ध में लिया ऐतराज मात्र तकनीकी ऐतराज नहीं है बल्कि एक महत्वपूर्ण व सारभूत ऐतराज है, जो अपीलीय न्यायालय के अपील को सुनने या उसे ग्राह्य किये जाने व निर्णय किये जाने के क्षेत्राधिकार को अवधारित करता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के दोष-मार्जन हेतु दिये गये स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में न्यायालय को अपील संतुष्टि करना आवश्यक है कि आया स्पष्टीकरण युक्तियुक्त, संतोषप्रद व पर्याप्त है अथवा नहीं? न्यायालय को परिसीमा अवधि को साम्यपूर्ण आधार पर अभितृद्धित करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। न्यायालय ऐसे मामलों

में जहां विरोधी के पक्ष में कोई हित व अधिकार अभिप्राप्त हो गया है, वहां उसको भी दृष्टिगत रखना आवश्यक है।

अपीलांट्स द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम में ऐसा कोई ठोस युक्तियुक्त कारण नहीं बताया है, जिसके आधार पर अपील प्रस्तुत नहीं करने के क्या पर्याप्त और औचित्यपूर्ण कारण रहे हैं। विधिक प्रावधानों अनुसार विलम्ब हेतु प्रत्येक दिवस के क्या कारण रहे हैं, स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। न ही अपीलांट्स द्वारा अपने कथनों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। विभिन्न न्यायालयों द्वारा कई मामलों में यह दृष्टांत प्रतिपादित किये हैं कि अपीलांट्स द्वारा अपील दायर करने में हुई देरी बाबत औचित्यपूर्ण, सत्य, विश्वसनीय एवं संतोषजनक कारण प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को संतुष्ट किया जाना आवश्यक होता है, ऐसा नहीं होने की स्थिति में मयाद को कण्डोन नहीं किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट्स द्वारा मयाद कण्डोन किये जाने बाबत जो कारण प्रस्तुत किये हैं, वह संतोषप्रद एवं पर्याप्त नहीं हैं। विलम्ब की देरी हेतु प्रत्येक दिन का कारण बताया जाना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में देरी को उपशमन करने का कोई न्याय संगत आधार नहीं है। अपीलांट्स ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम में प्रकरण की जानकारी दिनांक 14.02.2023 को होना अंकित किया है। जबकि वास्तविकता इससे परे है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय में स्वयं अपीलांट्स द्वारा दिनांक 06.06.2022 को 90-क की कार्यवाही के दौरान आपत्ति दर्ज करवाई गई थी। प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि आलौच्य निर्णय से अपीलांट्स को ससमय जानकारी थी, परन्तु उनके द्वारा कोई कार्यवाही निर्धारित समयावधि में नहीं की गई। निर्णय की सटीक जानकारी हेतु रेकॉर्ड से परे जाकर अभिवचन कथन करना/वर्णित करना कदापि औचित्यपूर्ण नहीं है तथा इस प्रकार से बिलम्ब को उपशमन किये जाने के लिए कोई पर्याप्त उचित कारण

नहीं है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अपीलांट्स द्वारा इस न्यायालय के समक्ष असत्य, मनगढ़त, अविश्वसनीय एवं बनावटी कारण अंकित करते हुए 01 वर्ष की देरी से प्रस्तुत की गई अपील को अंदर मयाद शुमार कराने हेतु प्रार्थना पत्र असत्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया जो खारिज किये जाने योग्य है

प्रकरण में अब हम न्यायहित में अपील में अपीलांट्स द्वारा वर्णित उजरात के विवेचन व बहस तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के बरूए गुणावगुण पर एवं दौराने बहस एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बिन्दुवार मूल कथन/उज्र प्रस्तुत किये जिस पर विवेचन करना उचित समझते हैं।

अपीलांट्स द्वारा प्रथम उज्र यह प्रस्तुत किया कि श्री कालुलाल जैन ने आराजी संख्या 4282/1440, 4283/1441, 4281/1416, 1442मी. एवं 1418मी. जिसका राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर में प्रकरण संख्या 8518/2018 विचाराधीन है:-

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट संख्या 2 श्री रिषु सुहालका द्वारा अपीलांट संख्या 1 श्री विजयलाल सुहालका एवं अन्य के विरुद्ध एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा के यहां अंतर्गत धारा 88, 92, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अंकित किया कि उक्त आराजीयात की संपत्ति अपीलांट की मौरुसी होकर बाप-दादाओं के समय से चली आ रही है तथा उक्त भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की संपत्ति है तथा अपीलांट के पिता को उसके दादा से प्राप्त होने एवं जन्म से अधिकार है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा द्वारा प्रकरण संख्या 72/2015 निर्णय दिनांक 08.02.2018 से हस्तगत वादग्रस्त भूमियां माणकलाल को आवंटित होकर उनकी स्वअर्जित होना माना है तथा विजयलाल एवं उसके भाईयों के मध्य विधिवत आपसी

सहमति विभाजन होकर भूमियां विजयलाल के नाम दर्ज होना पुरी तरह से स्पष्ट है, तदनुसार भूमियों को कोपार्सनर अथवा सहदायिकी की नहीं माना जा सकता है। इस संबंध में अपर न्यायाधीश क्रम संख्या 4, उदयपुर सिविल कोर्ट द्वारा अपने निर्णय दिनांक 10.03.2016 से भी यह स्पष्ट किया है कि वादग्रस्त आराजी मौरूसी नहीं होकर माणकलाल की स्वअर्जित संपत्ति है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा के प्रकरण संख्या 72/2015 निर्णय दिनांक 08.02.2018 की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की जिस पर राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अपने प्रकरण संख्या 31/2018 निर्णय दिनांक 10.12.2018 से हस्तगत वादग्रस्त भूमियां माणकलाल को आवंटित होकर उनकी स्वअर्जित होना माना जाकर अपील अपीलांत सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा के निर्णय दिनांक 08.02.2018 को यथावत रखा गया है। उक्त निर्णय से व्यथित/असंतुष्ट होकर अपीलांत संख्या 02 श्री रिषु सुहालका द्वारा अपीलांत संख्या 01 श्री विजयलाल व अन्य के विरुद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के न्यायालय में अपील अंतर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश गई, जिसके प्रकरण संख्या 8515/2018 है। इस प्रकरण से माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर हाल उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर द्वारा की गई की 90-क कार्यवाही पर कोई रोक आदेश जारी नहीं किया गया है एवं न ही पत्रावली पर उपलब्ध है, अतः अधीनस्थ न्यायालय नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर हाल उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर द्वारा आदेश दिनांक 30.03.2022 से उचित निर्णय पारित किया गया है। अतएव अपीलांट्स का उक्त उज्र समायत योग्य नहीं है।

अपीलांट का अन्य कथन यह है कि प्लान के ले-आउट में खसरा नम्बर 4266/1412, 4267/1415, 4268/1416, 4269/1440, 4270/1442, 1442मी., 4281/1416, 4282/1440 एवं 4283/1441 जिसमें आराजी संख्या 1411, 1416, 1420, 1440, 1441 वाकडी टुकडी, 1443, 4284/1415, 4285/1417, 4286/1418 जिसकी 90-क भी नहीं की गई है, फिर भी प्लान में लेकर के 40:60 रेशियों में पास करवा दिया गया है:-

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट संख्या 1 श्री विजयलाल व उनके भाईयों क्रमशः श्री घनश्यामलाल, बंशीलाल एवं श्री उत्सवलाल पिता माणकलाल सुहालका के मध्य प्रलेख विभाजन का कारुन्टर पार्ट दिनांक 20 जनवरी, 2003 को निष्पादित होकर उक्त प्रलेख विभाजन के पृष्ठ संख्या 15 पर पेरा संख्या 6 में यह वर्णित किया गया है कि पक्षकार संख्या 1, 2, 3 व 4 के हिस्से में ग्राम नेला, तहसील गिर्वा में स्थित आराजी संख्या 1411, 1415, 1416, 1417, 1418, 1420, 1440, 1441, 1443 कुल किता 9 कुल रकबा 0.2600 हैक्टेयर की भूमि संयुक्त खातेदारी में रखी जाकर नक्शों में 30 फीट चौड़े रोड़ के लिये रखी गई है तथा उक्त प्रलेख के पृष्ठ संख्या 17 के पेरा संख्या 10 में यह वर्णित किया गया है कि उपरोक्त वर्णित पेरा संख्या 6 में वर्णित आराजीयात की भूमि जो पक्षकार संख्या 1, 2, 3 एवं 4 के संयुक्त खातेदारी में रखी गई है, वो केवल रोड़ हेतु रेवेन्यु नक्शों में बताई हुई है, के लिए ही छोड़ी गई है, इसलिए उक्त वर्णित भूमि जो केवल रोड़ के ही काम में आवेगी। जिस पर चारों पक्षकार आ-जा सकेंगे, रोड़ के हिस्से की भूमि पर कोई पक्षकार किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं करेगा और न ही अपने मकान का कोई प्रोजेक्शन किसी प्रकार रख सकेगा। उक्त वर्णित आराजीयात के हिस्से की जो भी भूमि संयुक्त खातेदारी में रोड़ हेतु रखी गई है वह रेवेन्यु ट्रेस में रोड़ के लिये ही दर्शाई गई

है। तथा इस संबंध में उपायुक्त, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर के पत्रांक 6444 दिनांक 03.06.2025 से प्रकरण में बिंदुवार रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.03.2022 से 90-क की कार्यवाही में एवं अनुमोदित प्लान में अपीलांट के खातेदारी की कोई भी आराजीयात शामिल नहीं की गई है, सिर्फ आवेदक श्री कालुलाल जैन पिता शंकरलाल जैन के खातेशुदा भूमि के ही 90-क के आदेश जारी किये गये है तथा अपीलांट के सामलाती खातेदारी की आराजीयात में वर्तमान में मौके पर डामरीकृत सड़क का निर्माण किया हुआ है। अतः अधीनस्थ न्यायालय नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर हाल उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर द्वारा आदेश दिनांक 30.03.2022 से 90-क की नियमानुसार कार्यवाही करते हुए प्रकरण में वर्णित आराजीयात कुल 9 खसरा जिसका क्षेत्रफल 0.5450 हैक्टेयर होकर 58642 वर्गफीट होती है। जिसमें से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 35170 वर्गफीट के ही पट्टे जारी किये गये है तथा 22538 वर्गफिट भूमि रास्ते के लिए है एवं 927 वर्गफिट भूमि आरक्षित रखी है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित निर्णय पारित किया गया है। अतएव अपीलांट्स का उक्त उज्र माने जाने योग्य नहीं है।

अपीलांट्स का अन्य कथन यह है कि प्लान में आराजी संख्या 1483/1441 एवं आराजी संख्या 4283/1440 दर्शाया गया है, जो कि पूर्णतया गलत है:-

अपीलाधीन आदेश संख्या 61 से 63 दिनांक 30.03.2022 के अवलोकन से स्पष्ट है कि आदेश में वर्णित आराजीयात यथा 4281/1416, 4282/1440 एवं 4283/1441 लगभग समानांतर होने से अनुमोदित प्लान में आराजीयात का हाथ से अंकन करते वक्त आराजी संख्या 4283/1441 के बजाय 4283/1440 एवं कम्प्यूटर से अंकन करते वक्त 4283/1441 के बजाय 1483/1441 का अंकन

मानवीय भूल होकर त्रुटीवश होना प्रतीत होता है। अतएव उक्त उज्र माने जाने योग्य नहीं है।

अपीलांट्स का अन्य कथन यह है कि आराजी संख्या 1411, 1416, 1420, 1440, 1441 वाकडी टुकडी, 1443, 4284/1415, 4285/1417, 4286/1418 कुल किता 9 विजयलाल सुहालका का 1/4 हक व हिस्सा है:-

इस संबंध में उपायुक्त, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर के पत्रांक 6444 दिनांक 03.06.2025 से प्रकरण में बिंदुवार रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया है कि अपीलांट के खातेदारी के कोई भी आराजी न्यास द्वारा अनुमोदित प्लान में सम्मिलित नहीं किये गये है, किन्तु अपीलांट्स के सामलाती खातेदारी के आराजीयात में वर्तमान में मौके पर डामरीकृत सडक निर्मित है तथा आवेदक श्री कालुलाल जैन की आराजी संख्या 4266/1412, 4267/1415, 4268/1416, 4269/1440, 4270/1442, 1442मी., 4281/1416, 4282/1440 एवं 4283/1441 के मौके पर न्यास द्वारा अनुमोदित प्लान अनुसार भू-खण्डों एवं सडकों का सृजन किया हुआ है। अतएवं उक्त उज्र समायत योग्य नहीं है। अपीलांट अपने हक व अधिकार तय कराने बाबत सक्षम न्यायालय में चाराजोही करें।

इसके अतिरिक्त अपीलांट्स द्वारा दिनांक 04.12.2025 को 06 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जिनको रिकार्ड पर रखने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति के दृष्टिगत यह न्यायालय पाता है कि अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर हाल उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत आवेदन पर विधिक एवं तथ्यात्मक परीक्षण उपरांत एवं पर्याप्त कारण अंकित करते हुए

अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें यह न्यायालय कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाता है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपीलांत्स व्यथित/हितबद्ध पक्षकार नहीं होने, अपील बेरुन मयाद होने तथा अपील अपीलांत्स गुणावगुण पर भी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर हाल उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर के निर्णय दिनांक 30.03.2022 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

(सी. आर. देवासी)
अति. संभागीय आयुक्त,
उदयपुर